न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 53/2017 तारीख रजू:–11.4.2017

राजाराम पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी चिरावडा तहसील नादौती जिला करौली

बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली राज0

<u>अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 02.03.2017 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील नादौती उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजाराम मु0न0 39/2017 धारा 91 एल. आर.एक्ट जिसकी रूह से सजा एवं पैनल्टी से दण्डित किया गया हैके विरूद्व</u>

निर्णय

दिनांक 15.4.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार नादौती के निर्णय दिनांक 02.03.2017 से नाखुश होकर एक अपील पेश कर निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1761 रकवा 0.25 है0 भूमि चारागाह पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की गई है पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे पत्रावली मे कोई दस्तावेज शामिल नही है विवादित भूमि नाकाबिल काश्त की है। किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अन्त मे अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

रेस्पोडेन्ट की ओर से आज कोई उपस्थित नही आया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का गढमोरा ने एक रिपोर्ट धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत आराजी खसरा नम्बर 1761 रकवा 0.25 है0 चारागाह भूमि पर सम्बत 2073 रवी मे गेहूँ बोकर अपीलान्ट/अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार नादौती के समक्ष पेश की गई थी जिसमे तहसीलदार ने सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया था जिसकी तामिल उसके पुत्र भगवान सिह द्वारा प्राप्त की गई थी नियम तारीख पर अपीलान्ट/अतिक्रमी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ ना ही किसी प्रकार का जबाव पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर इसी आराजी का अपीलान्टी द्वारा सम्बत 2072 मे कब्जा कर अतिक्रमण किया गया था जिसे शास्ती बेदखली से दण्डित किया गया था किन्तु अतिक्रमी उसी भूमि पर अतिचार करने से नही मानता है यह भूमि आमजन के पशुओ की चराई की भूमि है। इस प्रकार से तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है। इसमे हम किसी प्रकार का फेरबदल करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन तथ्यहीन होने पर खारिज की जाती है तहसीलदार नादौती का निर्णय दिनांक 02.03.2017का यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर